जब्बार हुसैन बनाम राजस्थान सरकार

अपील संख्या : 2023/158

24.08.2023	विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री जुगल किशोर शर्मा की ओर यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय ए.सी.एम. कोटा जिला कोटा के आदेश दिनांक 30.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस अपील के एडमिशन पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में निवेदन किया है कि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान मे खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.30 हैक्टर व खसरा नम्बर 2073 की रकबा 0.93 हैक्टर में से अपीलान्ट के कब्जे काश्त आराजी 0.30 हैक्टर अपीलांट के कब्जे काश्त में है, जिस पर अपीलान्ट फसल उगाता चला आ रहा है। विगत 40 वर्षो यानि अपीलान्ट के पूर्वजो से उक्त आराजी पर कृषि कार्य निर्वाध रूप से चला आ रहा है और वर्तमान में भी उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है एवं उक्त आराजी पर अपीलान्ट की काश्त करता है। किसी प्रकार का कोई विघ्न नही है तथा उक्त आराजी से ही अपीलान्ट अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उक्त आराजी पर रस्पोडेन्ट ने खसरा परिवर्तित एवं निर्धारण में अर्थात खसरा गिरदावरी में भी अपीलान्ट के कब्जे काश्त होने का अमल दरामद दर्शाया है, जो लगभग 40 वर्षों से लगातार है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट ने अपना एक वाद माननीय ए.सी.एम. कोर्ट कोटा में खातेदारी अंकित करवाये जाने बाबत् प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये ही प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज कर दिया, यह नियम विरूद्ध है, इससे अपीलान्ट को माननीय न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत करनी पड़ने के लिए बाध्य होना पड रहा है। अपीलान्ट माननीय ए.सी.एम. कोर्ट कोटा के आदेश से व्यथित है, क्योकि माननीय न्यायालय ने दावे को प्रथम स्टेज पर ही खारिज कर दिया है सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है, तथा वैधानिक एवं अवैधानिक तर्कों को भी नहीं सुना है तथा प्रारम्भिक स्टेज पर ही दावे को खारिज कर दिया है। माननीय न्यायालय ने दावे के तथ्यों का अवलोकन नहीं किया है तथा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए दावे को निरस्त किया है. जबकि अपीलान्ट लगभग 40 वर्षो से कृषि कार्य करता चला आ रहा है और खसरा गिरदावरी के राजस्व

रिकॉर्ड में भी अपीलान्ट का नाम अंकित है। मिलान क्षेत्रफल मे भी उक्त आराजी को दर्शाया गया है। माननीय ए.सी.एम. कोर्ट कोटा ने मात्र धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिसो के आधार पर ही अतिक्रमी मान लिया है, जो कि गैर कानूनी है, क्योकि उक्त आराजी पर अपीलान्ट कब्जे काश्त है और कृषि कार्य करता है, उसके पास कोई अन्य भूमि नहीं है, इसी आराजी की उपज से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है जो कि पूर्वजो से इसी प्रकार होता चला आ रहा है। अपीलान्ट 40 वर्षों से काबिज होने के कारण सेटल पजेशन मे चला आ रहा है, जो कि वैधानिक प्रक्रिया है जिसका बिना अवलोकन किये है, माननीय ए.सी.एम. कोर्ट कोटा ने अपीलान्ट के दावे को निरस्त कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिंद्धात के विपरीत है। अन्त में अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट के पक्ष मे इस आशय का निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया कि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान में खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.30 हैक्टर व खसरा नम्बर 2073 की रकबा 0.93 हैक्टर में से अपीलान्ट के कब्जे काश्त आराजी 0.30 हैक्टर को अपीलान्ट के पक्ष में खातेदारी में अंकित की जावे। तथा इस आशय की निषेधाज्ञा कर रेस्पोडेन्ट को पाबंद किया जावे कि वह अपीलान्ट के काश्त की भूमि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान में खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.30 हैक्टर व खसरा नम्बर 2073 की रकवा 0.93 हेक्टर में से अपीलान्ट के कब्जे काश्त आराजी 0.30 हैक्टर से ना तो अपीलान्ट को बेदखल करे, ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय की एक प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। इस प्रमाणित फोटोप्रति पर अंकित है कि, "किसी विवादित आराजी पर वास्तविक मालिक को जानकारी के अभाव में होने वाले कब्जे के विरूद्ध उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत समय समय पर विभिन्न नोटिस जारी किये गये है। इस प्रकार वादी, विवादित आराजी पर अतिकमी की हैसियत से काबिज है। तथा उक्त कब्जा भू–धारी(तहसीलदार) की जानकारी में होने से विवादित आराजी पर वादी का प्रतिकूल कब्जा नहीं है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2011(1) आर.आर.टी. पृष्ठ 575–581 पर उल्लेखित है। अतः वाद वादी इसी स्तर पर

खारिज किया जाता है।" यह स्पष्ट नहीं है कि यह औपचारिक आदेश है अथवा प्रकरण को एडमिशन पर सुना जाकर आदेश दिया गया है। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कौन उपस्थित हुआ यह भी स्पष्ट नहीं है। इस पर प्रकरण संख्या एवं कोई दिनांक भी अंकित नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं थे। इस अस्पष्टता के कारण अपीलीय न्यायालय में भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त स्थिति में कोई निष्कर्ष पारित किया जाना उचित नहीं है तथा पत्रावली इसी स्तर पर बिना किसी निर्देश के अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाए। अधीनस्थ न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो परीक्षणोपरांत प्रकरण में विधिअनुसार कार्यवाही कर सकता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा